फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी चाकसू

नरसी बनाम जगदीश

संख्या /वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस उभयपक्षों की सुनी जा चुकी है। दावा स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का भाग रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। ह0 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (आरएएस)

वाद संख्या :– 155/2019 निर्णय दिनांक :–23.04.2024

प्रा.दर्ज 167/2024

उनवान

1. सुरज्ञान पुत्र रामजीवण जाति अहीर निवासी सीमल्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.।

––वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामू
2. मिश्री लाल पुत्र रामू
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र महादेव (मृतक दौराने वाद)

   3/1 बाबू लाल यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव उर्फ लच्छा

   3/2 हनुमान सहाय यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव उर्फ लच्छा
4. रामेश्वर पुत्र शंकर
5. बद्री पुत्र शंकर
6. गोपाल पुत्र रोडिया
7. नानगराम पुत्र रोडिया
8. धन्नालाल पुत्र रोडिया समस्त जाति अहीर निवासी सीमल्यावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.।
9. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा. टेनेन्सी. एक्ट</u>

तहसील चाकसू के ग्राम फतेहपुरावास वाटिका में वादी एवम प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी भूमि के खसरा नं० 1235 रकबा 0.22 है०, खसरा नं 1236 रकबा 0.18 है०, खसरा नं0 1237 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 1238 रकबा 0.12 है०, खसरा नं0 1239 रकबा 0.89 है०. खसरा नं0 1240 रकबा 1.10 है०, खसरा नं0

(2)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

1241 रकबा 0.29 है०, खसरा नं0 1242 रकबा 0.29 है०, खसरा नं0 1243 रकबा 0.32 है०, खसरा नं0 1244 रकबा 0.37 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 4.03 है० जिस पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहें जिसको विवादाग्रस्त सम्पति से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी संयुक्त खाता है पक्षकारों का अलग अलग हिस्सा व लगान कायम नहीं हुआ है। तथा पक्षकारो ने अपनी अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ कर रखे है। वादी भी अपने दर्ज हिस्से पर काबिज कास्त चला आ रहा है। संयुक्त खाते में दर्ज पक्षकारो द्वारा बार बार अपन हिस्सा बदल दिया जाता है। जिससे पक्षकारों में आये दिन अच्छी अच्छी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है इससे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। वादी भी अपने दर्ज हिस्से पर कुआ बनवाना चाहते है, पुख्ता बाउन्ड्री करवाना चाहते है। किन्तु विधिवत तकासमा के अभाव में वादीगण अपने कार्य को अन्जाम नहीं दे पर रहे है। वादी ने सभी पक्षकारो को विधिवत तकासमा हेतु कहा भी किन्तु प्रतिवादीगण सहमत नहीं हुये। तथा गत दिनांक 29.06.2019 को तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादी को धमकी दी की हम हमारा हिस्सा बेचकर तुम्हारे कब्जे की जमीन पर खरीददार का कब्जा करवा देगे। यह कि शंकर पुत्र मांग्या कि मृत्यु हो चुकी है। जिसके पुत्रो पक्षकार बनाया है। प्रतिवादीगण की इनकारी के पश्चात व धमकी के पश्चात वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय से अपने हिस्से का विधिवत तकासमा करवाले तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द दें, कि यो वाद ग्रस्त आराजी को बिना तकासमा किसी भी अन्य को ना बेचे, वादी के उसके कब्जे की जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा ना डालें. ना ही वादी के हिस्से पर जबरन तारबंदी कर उसके हिस्से से बेदखल करे तथा राजस्व रिकार्ड कि यथा स्थिति बनाये रखें। दावे के लिये वाद है तुक दिनांक 29.06.2019 को जब प्रतिवादीगण ने तकासमें से इन्कार किया तथा वादी के हिस्से पर कब्जा कर कॉलोनी काट रहा व जबरदस्ती से तारबंदी कर वादी को बेदखल करने व बिना तकासमा बेचने की धमकी दी तब पैदा होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण संख्या 9 भूमिधारी

(21)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (राज.)

होने से व प्रतिवादीगण संख्या 10 उप पंजीयक होने से पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ दावे में कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नं0 1235 रकबा 0.22 है०, खसरा न 1236 रकबा 0.18 है०, खसरा नं0 1237 रकबा 0.20 है०, खसरा नं0 1238 रकबा 0.12 है०, खसरा नं० 1239 रकबा 0.89 है०, खसरा नं0 1240 रकबा 1.10 है०, खसरा नं0 1241 रकबा 0.29 है०, खसरा नं0 1242 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 1243 रकबा 0.32 है०, खसरा नं0 1244 रकबा 0.37 है०. कुल किता 10 कुल रकबा 4.03 है० भूमि वाके ग्राम फतेहपुरावासवाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर में वादी के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर वादी का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जायें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वो बिना विधिवत तकासमा करवाये वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 1 में से वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले, ना ही उसके हिस्से पर जबरन तारबंदी कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं, ना ही कच्चा पक्का निर्माण करें, प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में दर्ज अपने हिस्से का रहन, दान, बेचान या अन्य हस्तान्तरण किसी भी अन्य को नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलवी जारी की गयी वकील वादी ने कथन किया कि जावें, दावा तकासमें का होने से दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर दिनांक 23.03.2021 को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार चाकसू को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निदेर्शित किया गया कि दोनो पक्षो की मोजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे, जिसकी पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को पत्र क्रमांक राजस्व/21/778 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा लिखा गया, तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में क्रमांक भू.अ/2023/5061 दिनांक 10.07.2023 को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किये जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश नही की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिकी किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिकी किया जाना जाहिर किया।

दावा वादीगण द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की सुना जाकर दिनांक 18.03.2023 को प्राथमिक डिकि किया जाकर तहसीलदार चाकसू को कुर्रेजात भिजवाने हेतु लिखा जाने के बाद न्यायालय हाजा के निर्णय की दिनांक 18.03. 2021 की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहाँ की गयी तो राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 18.03.2021 को बहाल रखते हुये अपील खारिज कर दी गयी जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर मे किये जाने पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी दिनांक 19.06.2023 को अदम हाजरी मे खारिज कर दी गयी एवं पत्रावली वापस सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में 04.04.2024 को से बाद निर्णय को प्राप्त होने पर पुनः सुनवाई हेतु ली गयी तो प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु पत्रावली नम्बर पर ली गयी व प्रतिवादीगण सुनवाई हेतु हाजीर आये व न्यायालय हाजा की पालना मे तहसीलदार चाकसू द्वारा पत्र कमांक भू. अ/2023/5061 दिनांक 10.07.2023 के प्राप्त कुर्रेजात संलग्न है। जिसकी पालना में तहसीलदार चाकसू द्वारा भू.अ/22023/5061 दिनांक 10.07.2023 को कुर्रेजात भिजवाये गये। जिन पर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी, दौरान बहस वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुर्रेजात सही होना जाहिर किया गया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिकी के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रेजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)